राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर– 302005

क्रमांकः आईपीआई/पी.5/337/2025

परिपत्र

रीको भू–निपटान नियम, 1979 के नियम 21 के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भूखण्डों पर आवंटी/पट्टाग्रहिता द्वारा निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण कर उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ किये जाने का प्रावधान है एवं साथ ही निर्धारित/विस्तारित समय सीमा में उक्त गतिविधि प्रारम्भ नहीं किये जाने पर नियम 24 (1) के तहत कारण बताओं नोटिस जारी किये जाने का प्रावधान है। उक्त कारण बताओ नोटिस ERP Portal से जारी करने के लिए Land Module के अन्तर्गत प्रावधान है, किन्तु यह संज्ञान में आया है कि इकाई प्रभारियों द्वारा नियम 24(1) के तहत आवंटियों को कारण बताओ नोटिस ERP Portal से जारी नहीं किये जा रहे है, जिस कारण उत्पादन गतिविधि प्रारम्भ नहीं करने वाले आवंटियों की प्रभावी Monitoring करने के लिए सूचना के संकलन में विलम्ब हो रहा है। अतः समस्त इकाई प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियम 24(1) के तहत जारी किये जाने वाले कारण बताओं नोटिसों को ERP Portal के माध्यम से ही जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित नहीं किये जाने पर सम्बन्धित इकाई प्रभारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(निमिषा गुप्ता)
सलाहकार (इन्फ्रा)

प्रतिलिपिः

1. units@riico.co.in
2. staff@riico.co.in

Signature Not Verified

Digitally signed by Nimisha Gupta
Designation : ADVISOR PERS
Date: 2026.01.13 10:07:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19793899